305

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

429

निगरानी कं0 R.1287-I/12 /2012

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

विलोपित

R-1287-I/12

1- महावीर राम पिता चन्द्रभान राम ब्रा0
2- सोहागवती पत्नी अनुसुइयां प्रसाद ब्रा0
3- शरद कुमार पिता अनुसुइया राम ब्रा0
4- केदार प्रसाद पिता रामशिरोमणि राम ब्रा0
5- भारतलाल पिता रामशिरोमणि राम ब्रा0
6- भारद्वाज पिता रामशिरोमणि राम ब्रा0
7- देवेन्द्र पिता रामशिरोमणि राम ब्रा0

सभी निवासी ग्राम समदा तहसील देवसर जिला सिंगरौली

--------आवेदकगण

बनाम

1- गुलबिया बेवा जगन्नाथ सोनी
2- गीता देवी पुत्री जगन्नाथ सोनी

दोनो निवासी ग्राम समदा तहसील देवसर जिला सिंगरौली

------अनावेदिकागण

अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा दि0 7.4.2012

7.4.12

9.5.12

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.02.2012 जो न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 322/निगरानी/10-11 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अपर कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2012 विधि प्रकिया एवं प्रकरण मे आये तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(138)

(305)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R.1287-I/12 जिला– सिंगरोली

महावीर राम व अन्य विरूद्ध गुलाबिया सोनी

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री प्रमोद मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 322/निग./10-11 में पारित आदेश दिनांक 15-2-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	